संख्याः–24/2019/400/अड़तीस–9-2019-500(17)/2012

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 20 नवम्बर, 2019**

विषयः–विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत दुर्घटना, अग्निकाण्ड, असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सीय आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–30/अड़तीस–9-13-500(17)/2012 दिनांक–12.02.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–30/अड़तीस–9-13-500(17)/2012 दिनांक–12.02.2013 के प्रस्तर–(1) की तृतीय पंक्ति में अंकित **"राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" के स्थान पर "आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" अंकित किए जाने का निर्णय लिया गया है।**

2- अतएव उक्त शासनादेश दिनांक–12.02.2013 की तृतीय पंक्ति में अंकित "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" के स्थान पर "आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" पढ़ा जाय।

3- उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–30/अड़तीस–9-13-500(17)/12 दिनांक–12.02.2013 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या–24 (1)/अड़तीस–9-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थएवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मा0 सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद।
8- आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या–950/कार्य0अनु0/वि0नि0/ 2019 दिनांक–01.08.2019 के संदर्भ में।
9- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
10- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
12- समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0।
13- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
14- नियोजना अनुभाग–3/ग्राम्य विकास अनुभाग–3
15- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।